

GOVERNMENT OF INDIA


दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2019/अग्रहायण 15, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 315
No. 340]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2019/ AGRAHAYANA 15, 1940	[N.C.T.D. No. 315

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2019

सं. फा. 16(547)/श.वि./जल/2015/3091.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 29 अप्रैल 1988 की अधिसूचना सं. फा. 9/15/87/एलएसजी - 2247 के अधिकमण में, ऐसे अधिकमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात दिल्ली जल बोर्ड में फिल्टर सुपरवाइजर के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :—(I) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में फिल्टर सुपरवाइजर के भर्ती विनियम, 2019 कहा जाये।
(II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :—इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	फिल्टर सुपरवाईजर
2.	पदों की संख्या	:	42* (2019) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29,200-92,300/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 से 27 वर्ष । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों /आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) नोट :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में उपाधि । (ii) फिल्टर के रूप में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है	:	पदोन्नति :— नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत 13 वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900 - 63,200/-रुपये) में कार्यरत तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले सहायक फिल्टर सुपरवाईजर ।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	“ग” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक) – अध्यक्ष 2. निदेशक शोधन गुणवत्ता एवं नियंत्रण – सदस्य 3. सहायक आयुक्त(जल) – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अन्नपूर्णा झा, अनुभाग अधिकारी (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th December, 2019

No F. 16(547)/UD/W/2015/ 3091.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the power conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act, No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Administration Notification No. F 9/15/87-LSG-2247 dated the 29TH April, 1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of Competent Authority for regulating the method of recruitment to the post of Filter Supervisor in Delhi Water Board, are hereby published, namely :-

1. **Short title and commencement :-** (I) These regulations may be called Delhi Jal Board Filter Supervisor Recruitment Regulation, 2019.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix:-** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification:—** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax :-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving :-** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

NAME OF POST.	NO. OF POSTS.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FILTER SUPERVISOR.	42(2019) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDANT ON WORK LOAD.	CATEGORY 'C'.	LEVEL 5 (Rs 29200 - 92300) IN THE PAY MATRIX.	SELECTION.	BETWEEN 18 AND 27 YRS. (RELAXABLE FOR GOVERNMENT. SERVANTS AND EMPLOYEES OF DELHI JAL BOARD IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS/ ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT). NOTE :- THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PARDESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADHAKH DIVISION OF J&K STATE LAHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB-DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PARDESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP).

EDUCATIONAL and OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT: WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.
7.	8.	9.	10.
(i) DEGREE IN SCIENCE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY. (ii) TWO YEAR EXPERIENCE OF WORKING ON FILTER.	NO	TWO YEARS FOR DIRECT RECRUITS.	(i) 50% BY PROMOTION FAILING WHICH BY DIRECT RECRUITMENT. (II) 50% BY DIRECT RECRUITMENT.

IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
11.	12.	13.
PROMOTION:- ASSISTANT FILTER SUPERVISOR WORKING IN LEVEL 2 (Rs.19900 - 63200) IN THE PAY MATRIX WITH THIRTEEN YEARS SERVICE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS AND HAVE UNDERGONE ONE WEEK TRAINING IN THE RELATED FIELD FROM DELHI JAL BOARD TRAINING INSTITUTE.	DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR CATEGORY 'C' CONSISTING OF: 1. DIRECTOR(A&P) - CHAIRMAN 2. DTQ & C - MEMBER 3. A.C. (W) - MEMBER	CONSULTATION WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ANUPURNA JHA, Section Officer (Water)